झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 07 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
14/06/2022
DISPOSED

अपीलकर्त्ता श्री रामलाल प्रजापति एवं अन्य (कुल .), ग्रा0+पो0-पुनाई, प्र0+थाना - दारू, हजारीबाग।

बनाम

प्रतिवादी 1. जिला आपूर्ति पदा0, हजारीबाग।
2. प्रखण्ड आपूर्ति पदा0, दारू।
3. PDS विक्रेता।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

शिकायतकर्ता श्री रामलाल प्रजापति, श्री शैलेश कुशवाहा एवं अन्य, ग्राम+पं0+पो0--पुनाई, प्रखण्ड--दारू, हजारीबाग का शिकायत--पत्र जो उपायुक्त, हजारीबाग को संबोधित है, शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये Whatsapp No--9142622194 पर दिनांक--12.12.2021 को दूरभाष सं0--9636037669 से Whatsapp के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्राप्त शिकायत पत्र में शिकायतकर्ताओं द्वारा उक्त ग्राम के दो PDS विक्रेताओं श्री प्रदीप कुमार देव एवं श्री शैलेश कुमार देव के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:--

1. प्रत्येक माह प्रत्येक कार्डधारी से 4--5 कि0ग्रा0 अनाज की कटौती करना।
2. इस संबंध में पूछने पर गाली--गलौज एवं अभद्र व्यवहार करना।
3. PDS वितरको द्वारा राशन कार्डधारियों से अपने घर के कार्य करवाना, मना करने पर राशन देने से इन्कार कर देना।
4. राशन कार्ड बनवाने के नाम पर PDS विक्रेताओं द्वारा 5000 से 6000/--रु० की अवैध वसूली किया जाना।
5. कुछ कार्डधारियों को राशन नहीं देने एवं राशन मांगने पर जान से मारने की धमकी दिया जाना।

उक्त मामले में शिकायतकर्ताओं द्वारा जाँच--पड़ताल कर उपरोक्त दोनों PDS वितरकों की अनुज्ञप्ति समाप्त कर नये PDS वितरक का चुनाव करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त शिकायत पत्र को गंभरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक--17.02.2022 को निर्धारित की जाती है।

उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान आयोग कार्यालय में स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दारू/PDS वितरकों को नोटिस निर्गत किया जाय। साथ ही अपीलकर्ताओं को प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन सुनवाई में उपस्थित रहने का निदेश दिया जाय।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.doc6

Ranjan
17/01/2022

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	C.S.C तैयार नहीं होने के कारण अपीलकर्ता whatapp video call पर उपस्थित रहेंगे। उन्हें सूचित किया जाए। Ranjan 14/02/2022	
17.02.2022 प्रदीप कुमार देव 17/02/2022 शैलेश कुमार देव 17/2/22	अभिलेख उपस्थापित की गई:– वादी श्री रामलाल प्रजापति अनुपस्थित रहें। प्रतिवादी के रूप में श्री विद्या भूषण राम, पणन पदाधिकारी, दारू प्रखण्ड, श्री शैलेश कुमार देव एवं श्री प्रदीप कुमार देव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, दारू, हजारीबाग उपस्थित रहे। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि सुनवाई की अगली तिथि को उक्त मामले की जाँच कर एवं दोनो डीलरों द्वारा कम मात्रा में राशन दिये जाने के मामले से संबंधित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में यह भी आदेशित किया गया कि दोनों जन वितरण प्रणाली केन्द्रों पर अन्य अयोग्य राशन कार्डधारियों की एक सूची बनाकर आयोग को उपलब्ध कराएंगे। सुनवाई की अगली तिथि 2 मार्च 2022 को निर्धारित की जाती है। 17-2-22 (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Ranjan 17/02/2022 (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–02.03.2022 को वाद संख्या–07/2022 के मामले में पुनः सुनवाई की गई।

वादी की ओर से श्री रामलाल प्रजापति, श्री शैलेश कुशवाहा एवं श्री प्रदीप यादव, अन्य शिकायतकर्त्ता ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए।

प्रतिवादी के रूप में श्री विद्या भूषण राम, पणन पदाधिकारी, दारू प्रखण्ड, श्री शैलेश कुमार देव एवं श्री प्रदीप कुमार देव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, दारू हजारीबाग उपस्थित रहें।

अपीलकर्त्ता श्री शैलेश कुशवाहा का कहना है कि ग्राम–पुनाई में कार्डधारियों को कम राशन दिया जाता है, एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है।

1. एक अन्य अपीलकर्त्ता श्री प्रदीप यादव का कहना है कि उनको जुलाई–2021 से लेकर अभी तक राशन नहीं मिल रहा है। एवं डिलर द्वारा अभ्रद व्यवहार किया जाता है।
2. डिलर द्वारा बताया गया की अक्टूबर में दो माह का राशन पणन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
3. आदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दारू, ग्राम–पुनाई में अपने स्तर से जाकर जाँच करें एवं जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय।
4. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि दोनों जन वितरण प्रणाली विक्रेता से भी मिले और जिनको राशन कम दिया जाता है उनको पूरा–पूरा राशन दिलवाते हुए, एक सप्ताह के अन्दर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–22.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान आयोग के न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को नोटिस निर्गत करें। WhatsApp V.C. पर ऑनलाइन उपस्थित रहने हेतु अपीलकर्त्ता एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सूचित किया जाय।

2/3/2022

(हलधर महतो)	(डा0 रंजना कुमारी)
सदस्य,	सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।	राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सुनवाई की तिथि 28/03/2022

22/03/22

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.03.2022 को वाद संख्या–07/2022 के मामले में पुनः सुनवाई की गई। वादी श्री रामलाल प्रजापति, श्री शैलेश कुशवाहा एवं श्री प्रदीप यादव, अन्य शिकायतकर्त्ता ऑनलाइन व्हाट्सएप विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रतिवादी के रूप में श्री विद्या भूषण राम, पणन पदाधिकारी, दारू–प्रखण्ड, हजारीबाग उपस्थित रहें। 1. अपीलकर्त्ता श्री रामलाल प्रजापति द्वारा बताया गया कि उनको पहले डीलर के यहां कम राशन दिया जाता था। अब उनको दुसरे डीलर के साथ टैग कर दिया गया है, और उनको प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का पूरा राशन मिल गया है। PH कार्ड वाला राशन अभी भी बाकी है, पणन पदाधिकारी साहब बोले है कि दो–तीन दिन के अन्दर में मिल जायेगा। 2. श्री प्रदीप यादव का कहना है कि दो माह का राशन उनको मिल गया है। बकाया तीन माह का राशन जनवितरण प्रणाली विक्रेता प्रदीप कुमार देव के यहाँ भण्डार में है। जो उन्हें मिल जायेगा। 3. पणन पदाधिकारी, द्वारा बताया गया कि श्री प्रदीप यादव का बकाया राशन दो या तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। साथ ही उन्होंने आयोग से तीन दिन का समय लिया है जिससे कि वो पूरी शिकायतो का निपटारा कर सकें। 4. पणन पदाधिकारी, द्वारा यह भी बताया गया कि दोनों जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया है। जिन कार्डधारियो को 5kg एवं 10kg राशन कम मिलता है, जिसमें उन कार्डधारियों के परिवार के सदस्यो का नाम आधार से लिंक नहीं होने के कारण नहीं मिलता है। 5. पणन पदाधिकारी, को आदेश दिया जाता है कि श्री प्रदीप यादव का बकाया राशन उनके घर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाय, एवं सभी शिकायत करने वाले कार्डधारियों का नाम एवं आधार लिंक करके एवं शिकायतकर्त्ताओं के संबंधित विषय पर जाँच करके प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2022 को निर्धारित की जाती है। 28.3.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (डा0 रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx19	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	दिनांक 11/04/22 के प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि 28/04/22 को पूर्व के आदेशित प्रतिवेदन के साथ आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। 11/04/2022 आज दिनांक–28.04.2022 को वाद सं0–07/2022 के मामले में सुनवाई की गई:– अभिलेख उपस्थापित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग का पत्रांक–600 दिनांक–28.04.2022 को आयोग को प्राप्त है जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्तता का हवाला देते हुए उनके द्वारा निर्वाचन समाप्ति के पश्चात अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–14.06.2022 को निर्धारित की जाती है। एतद् संबंधी नोटिस निर्गत किया जाय। 18.5.22 — (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 18/05/22 — (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 77

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष उपस्थित। डिजिटल माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें जिस जनवितरण प्रणाली वितरक से शिकायत थी, वहाँ से उनका नाम हटा कर दूसरे जनवितरण प्रणाली वितरक के साथ जोड़ दिया गया है। अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है एवं उन्हें राशन भी मिल रहा है। शिकायतकर्ता से हुई वार्ता के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx15	